TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(II) OF THE GAZETTE OF INDIA.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 27th December, 1999.

NOTIFICATION
INCOME TAX

No. It is hereby notified for general information that the organisations mentioned below have been approved by the Central Government for the period mentioned against their names, for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions:-

i) The notified Association shall maintain separate books of accounts for its research activities;

ii) The notified Association shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year on or before 31st May of each year;

iii) The notified Association shall submit, on behalf of the Central Government, to (a) the Director General of Income tax (Exemptions), 10 Middleton Row, 5th Floor, Calcutta-700071 (b) the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, on or before the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income tax Act, 1961 in addition to the return of income tax to the designated assessing officer.

S No.	Name of the organisation approved	Period for which Notification is effective
1.	Centre for Liquid Crystal Research, P.B.No. 1329, Jalahalli, Bangalore-560013 (F.No 203/52/99-ITA-II)	1.4.99 to 31.3.2001

Notes: The notified Associations are advised to apply in triplicates and well in advance for renewal of the approval, to the Central Government through the Commissioner of Income tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction. Three copies of the application for renewal of approval shall also be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

(Kamlesh C.Varshney)
Under Secretary to the Govt. of India

Notification No. 11184
To,

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy forwarded to:

1. The applicant organisations.
2. The Director General of Income tax (Exemptions), Calcutta.
3. Comptroller & Auditor General of India
4. The Director, Department of Scientific and Industrial Resarch, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016
5. Commissiner of Income Tax, Karnatka-II, Bangalore.
6. Concerned file
7. Guard file

(Kamlesh C.Varshney)
Under Secretary to the Govt. of India

भारत सरकार के राजपत्र भाग ।।, खण्ड 3॥ii॥ में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनाँक 27 दिसम्बर, 99

अधिसूचना
॥आयकर॥

सं0 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा॥1॥ के खण्ड॥ii॥ के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित संगठनों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए "संस्था" श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित करती है:-

॥i॥ अधिसूचित संस्था अपनी अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग लेखा-बही रखेगी ।

॥ii॥ अधिसूचित संस्था हरेक वित्त वर्ष के लिए अपनी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष 31 मई को अथवा उससे पहले सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, [illegible] प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को प्रस्तुत करेगी;

॥iii॥ अधिसूचित संस्था केन्द्र सरकार की तरफ से नामित कर निर्धारण अधिकारी को आयकर की विवरणी प्रस्तुत करने के अलावा अपने लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा अपनी अनुसंधान गतिविधियों जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा॥1॥ के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई थी, के संबंध में आय और व्यय खाते की लेखा-परीक्षा की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को अथवा उससे पहले संगठन पर अधिकार क्षेत्र वाले ॥क॥ आयकर महानिदेशक॥छूट॥ 10, मिडलटन रॉ, 5वां तल, कलकत्ता-700071 ॥ख॥ सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग॥ग॥ आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक ॥छूट॥ को प्रस्तुत करेगी ।

क्रम सं0	अनुमोदित संगठन का नाम	अवधि जिसके लिए अधिसूचना प्रभावी है
1·	सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च पी0बी0 नं0 1329, जालाहाली, बंगलौर-560013 (फा0सं0 203/52/99-आई टी ए-II)	1·4·99 से 31·3·2002

टिप्पणी:- अधिसूचित संस्थाओं को यह सलाह दी जाती है कि वे अनुमोदन नवीकरण हेतु तीन प्रतियों में और पहले ही अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को आवेदन करें। अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र की तीन प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएंगी।

(कमलेश सी0 वार्ष्णेय)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 11/85

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:- अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।